न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, रिछपालसिंह बुरड़क R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –459/2017

प्रार्थीगण :–

1. श्यामलाल पुत्र श्री भोमाराम
2. पपूराम पुत्र श्री भोमाराम जातियान माली निवासीगण ग्राम बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
राज्य सरकार जरिये
जरिये तहसीलदार
पीपाड़ शहर,जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री अब्दुल सलीम खान प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 02.08.2017

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:– ग्राम बांकलिया तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि ख.न. 32 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 16 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 193 व पुराना 160 पर इन्द्राजशुदा हैं। उक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 की प्रमाणित प्रति सलंग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निर्बाध रूप से चला आ रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य प्रार्थीगण अपना जीवन यापन करते है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारों तरफ मटाम कायम

नाप चौप किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जानी अतिआवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नही हो। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अप्रार्थी को आदेश दिया जावें कि ग्राम बांकलिया में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 32 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी द्वितीय ख.न. 34 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नाप चौप किया जाकर आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहरका समन बाद तामिल प्राप्त हुआ। तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपने जवाब में कहा है कि माप व पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जाते है तो कोई राजहित प्रभावित नही होते है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को फिर से दोहराया एवं वकील प्रार्थीगण ने बहस करते हुए कहा कि ग्राम बांकलिया में स्थित वादग्रस्त आराजी ख.न. 32 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नाप चौप किया जाकर आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढी/मुण्डागढी करवाने का तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमाने का निवेदन किया है।

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण पक्ष में प्रतित होता है क्योकि प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त आराजी का खातेदार व काश्तकार है उसे अपनी खातेदारीसुदा जमीन पर सीमांकन करवा कर मुटाम स्थापित करवाने का पूर्ण अधिकारी है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में बताये बिन्दुओं अनुसार वादग्रस्त आराजी

बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नाप चौप किया जाकर पत्थरगढ़ी/मुण्डागढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बांकलिया में स्थित [illegible] आराजी ख.न. 32 रकबा 9 बीघा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 [illegible] 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय, ख.न. 34 रकबा 7 बीघा [illegible] बिस्वा भूमि का टीम गठित कर नाप चौप कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढ़ी करावे । इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण राजकोष में जमा करावे । बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 02.08.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(SDO)
पीपाड़ शहर